न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री मुनिदेव यादव (आर० ए० एस०)

अपील संख्या :– 17/2012 (223 आर० टी० एक्ट)
आरसीएमएस संख्या :– 2012/00010

उनवान

1. रामस्वरूप पुत्र राम सिंह (मृतक)
   1/1. मदन सिंह पुत्र रामस्वरूप
   1/2. मन्जू देवी
   1/3. उगन्ती देवी
   1/4. बबीता
   1/5. बबली } पुत्री रामस्वरूप
   1/6. सुक्को देवी वेवा रामस्वरूप
2. गोविन्द सिंह पुत्र राम सिंह
3. धर्मा पुत्र राम सिंह
4. भगवान सिंह पुत्र राम सिंह

} जाति माली निवासी कस्बा बयाना तहसील बयाना जिला भरतपुर।

......................अपीलाण्ट

बनाम

1. डालचन्द (मृतक)
   1/1. कमला देवी पत्नी डालचन्द
   1/2. नन्दकिशोर पुत्र डालचन्द
   1/3. फूलवती पुत्री डालचन्द
   1/4. इन्द्र पुत्री डालचन्द
   1/5. प्रेम पुत्री डालचन्द
   1/6. हेमा पुत्री डालचन्द
   1/7. सीमा पुत्री डालचन्द
   1/8. तारा पुत्री डालचन्द

   } जाति माली निवासी कस्बा बयाना तहसील बयाना जिला भरतपुर।
2. भागचन्द पुत्र वोदन जाति माली निवासी कस्बा बयाना तहसील बयाना जिला भरतपुर।
3. ओमप्रकाश पुत्र गिर्राज प्रसाद जाति खटीक निवासी हाल लाल दरवाजा बयाा तहसील बयाना जिला भरतपुर।
4. कल्ला पुत्र स्व० मान सिंह
5. माया पुत्री स्व० मान सिंह } जाति माली नि० कस्बा कुम्हेर तह० बयाना जिला भरतपुर।

......................असल रेस्पोडेण्ट

6. मुस० कम्पूरी पुत्री राम सिंह पत्नि केशरिया जाति माली निवासी पाऊआ तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर।
7. सुनील पुत्र सम्पो
8. भीमा पुत्र सम्पो
9. सीता पुत्री सम्पो
10. गीता पुत्री सम्पो } जाति माली निवासी नमक कटरा भरतपुर तहसील व जिला भरतपुर।
11. बल्लो पुत्री राम सिंह पत्नि लक्ष्मण जाति माली निवासी नमक कटरा भरतपुर तहसील व जिला भरतपुर।
12. किशनी पुत्री राम सिंह पत्नी मोतीराम जाति माली निवासी कंजोली तहसील व जिला भरतपुर।

......................तरतीवी रेस्पोडेण्ट

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपवास दिनांक 20.03.2012 प्र0स0 52/11 उनवान रामस्वरूप बनाम डालचन्द।

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलाण्ट श्री प्रमोद कुमार उपमन उपस्थित।
2. वकील रैस्पो0 श्री विजय सिंह कुंतल उपस्थित।

निर्णय

दिनांक :– 20.08.2024

1. यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रूपवास के निर्णय दिनांक 20.03.2012 के विरूद्ध पेश की गई है। अपील के सक्षेंप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी/अपीलाण्ट द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध प्रतिवादी/रैस्पो0 इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी वाके कस्बा बयाना तहसील बयाना में स्थित है। जिसका वादी अपीलांट खातेदार काश्तकार एवं काबिज आराजी है एवं उक्त आराजी वादी अपीलाण्ट की पैत्रिक आराजी है। वादी अपीलाण्ट के पूर्वज विवादित आराजी पर संवत 2012 से पूर्व से बदस्तूर अब तक उक्त आराजी को काश्त करते चले आ रहे हैं। प्रतिवादीगण रैस्पो0 का विवादित आराजी से किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। मौके पर वादी अपीलाण्ट की पाटौरपोश हैं जिसमें वादी अपीलांट अपने परिवार के साथ निवास करता है। परन्तु राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी रैस्पो0 के नाम राजस्व रिकार्ड में खिलाफ कानून दर्ज हो रहे हैं। उक्त गलत इंद्राजो के आधार पर प्रतिवादी रैस्पो0 विवादित आराजी पर से वादी अपीलाण्ट को बेदखल करने की धमकी देते हैं एवं उन्होनें गुपचुप तरीके से उक्त आराजी का वयनामा दिनांक 30.12.2003 को प्रतिवादी रैस्पो0 संख्या 03 को कर दिया है। अतः वाद प्रस्तुत कर विवादित आराजी का स्वयं को खातेदार काश्तकार एवं उक्त वयनामा को प्रभावहीन एवं शून्य घोषित किये जाने का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त दावा, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.03.2012 से खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर वादी अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रैस्पो0 एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलव किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में अपील मीमो में अंकित कथनो को दोहाराते हुये, कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत होने के कारण काबिल निरस्तनीय है। यह है कि प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तारीख पेशी दिनांक 17.04.2012 निर्धारित कर रखी थी। परन्तु निर्धारित तारीख पेशी से पूर्व ही दिनांक 14.03.2012 को पत्रावली तलव कर अपीलाण्ट को बिना सुनवाई का मौका दिये दिनांक 20.03.2012 को वास्ते निर्णय हेतु लगा दी। अपीलाण्ट को अधीनस्थ न्यायालय ने कोई नजदीक सुनवाई का नोटिस नहीं दिया, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत है। अपीलाधीन आदेश भी तनकीवार एवं बोलता हुआ आदेश नहीं है। अपीलाण्ट का दावा घोषणात्मक था। जिसे दोनों पक्षो को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर देते हुये दावा एवं जवाब दावा के आधार पर तनकीवार निर्णय पारित करना चाहिये था। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को विधि सम्मत नहीं कहा जा सकता है। अंत में अपील अपीलाण्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

4. रैस्पो0 के विद्वान अभिभाषक ने जवाबी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि प्रकरण में तारीख पेशी लम्बी लग जाने के कारण, नजदीक तारीख पेशी देकर एवं अपीलांट एवं उनके अभिभाषक को आवाज लगाकर प्रकरण निर्णय हेतु रखा गया था। यदि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रक्रियात्मक चूक की है तो डिक्री निरस्त नहीं हो सकती। अपीलाण्ट ने प्रक्रियात्मक चूक पर बहस की है। मैरिट पर कोई बहस नहीं की गयी। अपीलाण्ट ने विवादित आराजी को पैतृक सम्पत्ति बताकर, प्रतिकूल कब्जे के आधार पर दावा प्रस्तुत किया है। रैस्पो0 ने विवादित आराजी को अपने जवाब दावा में नत्थी की भूमि होना कथन किया है। यदि अपीलाण्ट का विवादित भूमि पर कब्जा है भी है तो वह एक अतिक्रमी की हैसियत से ही माना जावेगा। प्रतिकूल कब्जे के आधार पर कोई खातेदारी प्रदान नहीं की जा सकती है। रैस्पो0 का रजिस्टर्ड वयनामा है। उसे सक्षम न्यायालय से निरस्त कराये बिना अपीलाण्ट को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। ऐसी सूरत में अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया। अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक नजीर आरआरटी 2016(1) पेज 657, 2016(2) पेज 751, 1129, 2018(2) पेज 1037, 2009(1) पेज 576, 2016(2) पेज 1129, आरआरडी 2011 पेज 508, सीसीसी 2016(2) पेज 446 का उद्धरण प्रस्तुत किया।

5. हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। हम पाते हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में पेशी दिनांक 29.02.2012 को अग्रिम पेशी दिनांक 17.04.2012 निर्धारित की गयी थी। परन्तु उक्त तारीख पेशी से पूर्व ही प्रतिवादी रैस्पो0 के प्रार्थना पत्र बाबत् नजदीक तारीख पेशी प्रस्तुत किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण दिनांक 14.03.2012 को कार्यालय से तलव कर, वादी अपीलाण्ट एवं उनके अभिभाषक को आवाज दिलवाकर प्रकरण वास्ते निर्णय दिनांक 20.03.2012 नियत कर दी, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के खिलाफ है। अधीनस्थ न्यायालय को चाहिये था कि वह प्रतिवादी रैस्पो0 के उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर वादी अपीलाण्ट अथवा उनके अभिभाषक को नजदीक तारीख पेशी का नोटिस जारी करते एवं तत्पश्चात् वादी एवं प्रतिवादी को सुनवाई का अवसर देते हुये, निर्णय पारित करते। इस प्रकार बिना वादी अपीलाण्ट को सुने निर्णय पारित करना न्यायोचित नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करने में प्रक्रियात्मक त्रुटि की है। लिहाजा हम अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार योग्य पाते हैं।

6. अतः आदेश है कि अपील अपींलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण उपरोक्त तथ्यों की पृष्टभूमि में उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये, पुनः तनकीवार तार्किक निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है, तब तक विवादित आराजी के रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखें। उभयपक्षकारान को भी निर्देशित किया जाता है कि वह अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 30.09.2024 को उपस्थित होवें। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावें, बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

7. निर्णय आज दिनांक 20.08.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, सरे इजलास सुनाया गया।

(मुनिदेव यादव)
भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर